न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 319 / 2025 (GCMS : 2025/423)

अजनीश पुत्र श्री जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 64 एलएनपी प्रथम तहसील पदमपुर

बनाम

1. **बनवारी लाल** पुत्र श्री रामरतन जाति बिश्नोई निवासी 64 एलएनपी प्रथम, तहसील पदमपुर
2. **उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर**
3. राजस्थान सरकार **जरिये तहसीलदार, राजस्व पदमपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.05.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम पूनिया को बार–बार आवाज़ लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया हुआ है कि प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे कि वे पदमपुर तहसील के चक 64 एलएनपी प्रथम के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में चल रहे चालू व स्वीकृतशुदा खाला को बंद करने, किसी प्रकार का नुकसान व कोई अवरोध पैदा करने से निषिध रहे।

अप्रार्थी संख्या 01 प्रभावशाली व राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गांव में सरेआम यह कहा जा रहा है क पीठासीन अधिकारी से हमारी सांठ–गांठ हो चुकी है और निश्चित ही उक्त प्रकरण में फैंसला अप्रार्थी के पक्ष में हो जायेगा।

दिनांक 29.10.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 राजनीतिक व्यक्ति के साथ पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में मिला, जिस पर प्रार्थी को पूरा–पूरा अंदेशा हो गया है, कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के प्रकरण में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में निर्णय करने पर उतारू है, इसलिए प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायलाय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 278 / 2025 अनवानी अजनीश बनाम बनवारी लाल वगै. को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रकरण अनवानी अजनीश बनाम बनवारी लाल वगै. अन्तर्गत धारा 88, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थीगण ने दिनांक 07.10.2025 को एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया है और जिसमें आगामी तारीख पेशी 29.10.2025 नियत की गई थी और अप्रार्थीगण दिनांक 03.11.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी दिनांक 03.11.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था इसलिए अप्रार्थी दिनांक 29.10.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तो पीठासीन अधिकारी से मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी ने एक पक्षीय विधि विरूद्ध स्थान आदेश प्राप्त कर, अप्रार्थी को परेशान करने के लिए झूठा प्रार्थना पत्र पेश है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 30.04.2026 का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद संख्या 278 / 2025 अनवान् अजनीश बनाम बनवारी लाल वगै. अन्तर्गत धारा 88, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव के कारण, प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। किसी व्यक्ति का राजनैतिक प्रभाव का आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी, किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case**: Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another Court.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:24 IST
Reason: SelfAttested

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता बल्कि रिकॉर्ड पर ऐसे तथ्य होने चाहिए जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में पक्षपात का संदेह पैदा करता हो।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार प्रमाणिक साक्ष्य या ठोस आधार के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जाये। कार्यवाही पूरी होने के बाद पत्रावली को व्यवस्थित करके अभिलेखागार में रखने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:24 IST
Reason: SelfAttested